झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सेवानिवृत वन क्षेत्र पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवानिवृति के फलस्वरूप वन क्षेत्रों के प्रबंधन में हो रही कठिनाइयों को तत्काल दूर करने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 35 दिनांक 03.01.2019 के निदेशानुसार कार्यहित में अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारियों के 70 रिक्त पदों पर झारखण्ड सरकार के सेवानिवृत वन क्षेत्र पदाधिकारियों/सेवानिवृत वैसे वनपाल, जो वनपाल के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा दे चुके हों, से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्न शर्त्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. उम्मीदवार द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ सरकारी पहचान पत्र/शैक्षणिक योग्यता/आयु प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आरक्षण कोटि का दावा करने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त सिविल सर्जन द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से वन क्षेत्र पदाधिकारी के उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक वहन करने में सक्षम है।
2. दिनांक 01.01.2019 को आवेदक की उम्र 64 वर्षों से कम होनी चाहिए।
3. आवेदक को अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है न ही उन्हें किसी वाद में सजा हुई और न ही उनके विरूद्ध निगरानी एवं विभागीय कार्यवाही का कोई मामला लंबित है।
4. नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के आवेदनों की समीक्षा कर, चयनित उम्मीदवारों की लघु–सूची के अनुसार मौखिक साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा तथा मौखिक साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन किया जायेगा।
5. उम्मीदवारों के अन्तिम रूप से चयन का पूर्ण अधिकार चयन हेतु गठित विभागीय समिति का होगा।
6. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रथम बार में एक वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकेगा।
7. नियोजित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का मासिक मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक 1243 दिनांक 28.04.2016 एवं अनुवर्त्ती आदेशों के अनुसार देय होगी।
8. संविदा के अधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः विनियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा में अवधि विस्तार के रूप में नहीं माना जायेगा।
9. नियोजित पदाधिकारियों का पदस्थापन आवश्यकतानुसार राज्य के किसी भी प्रमण्डल में किया जा सकेगा।
10. नियोजित सेवानिवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा उनके नियंत्री पदाधिकारी के साथ–साथ अपर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनके नियंत्री

पदाधिकारी तथा अपर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के आदेश से सेवामुक्त किया जा सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्त वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा कभी भी समाप्त करने की शक्ति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची की होगी।

12. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र सभी कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची कार्यालय, वन भवन, ब्लॉक – बी, डोरण्डा, राँची– 834002 में मात्र निबंधित डाक द्वारा दिनांक 15.03.2019 के अपराह्न 05.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर बड़े–बड़े अक्षरों में **"संविदा के आधार पर सेवानिवृत पदाधिकारियों का वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में नियोजन हेतु आवेदन पत्र"** लिखा होना चाहिए।

15. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट forest.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है या निर्धारित विहित आवेदन पत्र कम्प्यूटर से टंकित कराकर प्रयोग किया जा सकता है।

कोटिवार रिक्तियों की सूचना निम्नवत् है :–

कोटि	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अ0 पि0 वर्ग (अनु–1)	अ0 पि0 वर्ग (अनु–2)	कुल रिक्ति
रिक्ति	35	7	18	6	4	70

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या 3464 दिनांक 03.10.2001 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

15/02/19

मुख्य वन संरक्षक,
कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची।

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या–............................../2019

1. आवेदक का नाम :–...

(देवनागरी लिपि में साफ–साफ)

–..

(बड़े रोमन अक्षरों में साफ–साफ)

पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

2. पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत हुए) :–

3. कार्यालय का नाम (जहाँ से सेवा निवृत हुए) :–

4. जन्म तिथि :–

5. शैक्षणिक योग्यता :–

6. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :–

7. सेवानिवृति की तिथि :–

8. सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन :–

9. पेंशन की स्थिति (PPO, अगर निर्गत हो) :–

10. (i) सेवा अवधि का कोई आरोप/विभागीय कार्यवाही/निगरानी का मामला वर्त्तमान में विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख :–

(ii) सेवाकाल में कोई दंड अधिरोपित हुआ हो, तो उसका विवरण :–

11. कोई आपराधिक मामला यदि वर्त्तमान में विचाराधीन हो, तो उसका उल्लेख करें :–

12. स्थायी पता :– ग्राम/मोहल्ला–..

पोस्ट ऑफिस–.. थाना–..

जिला–........................... पिन कोड–...................... राज्य–.........................

13. पत्राचार पता :– ग्राम/मोहल्ला–..

पोस्ट ऑफिस–.. थाना–..

जिला–........................... पिन कोड–...................... राज्य–.........................

14. मोबाईल नं0 :–

15. कृपया गृह जिला छोड़कर इच्छानुसार अन्य किसी तीन जिलों का विकल्प दें जहाँ पर आप चयन की स्थिति में कार्य करने के इच्छुक है :–

-
-
-

उद्घोषणा।

एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दी गयी सभी सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण–पत्र सही है। मिथ्या पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी एवं संविदा बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमें में आरोप पत्रित/संदिग्ध/दण्डित हुआ/हुई हूँ/नहीं हुआ/नहीं हुई हूँ।

दिनांक–.....................

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>संलग्न किये जाने वाले अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्रों की सूची</u> :–

I. सरकारी पहचान पत्र।

II. शैक्षणिक योग्यता।

III. आयु प्रमाण–पत्र।

IV. जाति प्रमाण–पत्र।

V. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत विहत प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

VI. अन्य प्रमाण–पत्र।

दिनांक–.................................

आवेदक का हस्ताक्षर